न्यायालय उपखण्ड अधिकारी किशनगढ़ (अजमेर)
राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 112/2022

1. परमेश्वर पुत्र श्री नाथुलाल
2. अंकित शर्मा पुत्र श्री परमेश्वर
   सर्व जाति ब्राह्मण निवासी ब्राह्मणों का बास ग्राम बीती तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर राज0

प्रार्थीगण

बनाम

1. खेम सिंह पुत्र जगन्नाथ सिंह
2. गोपाल सिंह पुत्र जगन्नाथ सिंह
3. मोहब्बत सिंह पुत्र जगन्नाथ सिंह
4. कीकू कंवर पत्नि घीसू
5. नाबालिग श्रवण पुत्र घीसू संरक्षक माता कीकू कंवर पत्नि घीसु
6. किशन सिंह पुत्र शंकर सिंह
7. राम सिंह पुत्र शंकर सिंह (तर्क)
8. ओम सिंह पुत्र अमर सिंह
9. देवी सिंह पुत्र अमर सिंह
10. मग्गी देवी पत्नि अमर सिंह
11. मूल सिंह पुत्र जसवन्त सिंह
    सर्व जाति पुरोहित सर्व निवासी ग्राम बीती तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर राज0
12. मनराज पत्नि करतार जाति जाट निवासी ग्राम बीती तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर राज0
13. गौरू पुत्र रायचन्द
14. सीताराम पुत्र रायचन्द
    सर्व जाति बैरवा निवासी ग्राम बीती तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर राज0
15. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर राज0

अप्रार्थीगण

निर्णय प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 भू–राजस्व अधिनियम, 1956

दिनांकः 20/6/2024

उपस्थितः श्री जितेन्द्र शर्मा — प्रार्थीगण अभिभाषक
श्री महावीर मालाकार — अप्रार्थीगण सं0 6, 8 से 12, 14 अभिभाषक

निर्णय

1. यह प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण द्वारा जरिये वकील श्री जितेन्द्र शर्मा के माध्यम से अन्तर्गत धारा 111, 128 भू–राजस्व अधिनियम, 1956 अप्रार्थीगण न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Archana Choudhary
Date: 2024.06.24 19:51:50 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ (अजमेर)

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि –

2.1 प्रार्थीगण द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में दावा किया है कि प्रार्थीगण की सहखातेदारी की आराजी खसरा नम्बर 445/167 रकबा 2.0225 हैक्टेयर भूमि ग्राम बीती पटवार हल्का बीती तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर राजस्थान में स्थित है। जिसकी चतुर्थ सीमा में काबिज काश्त अधिकार अभिलेख में इन्द्राज खातेदारो को प्रार्थना पत्र में पक्षकार संयोजित किया जा रहा है। प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि के उत्तर दिशा में खसरा नम्बर 124 (गै0मु0नाला), खसरा नम्बर 446/167 (गै0मु0 शमशान), दक्षिण दिशा में अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 14 की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 444/167, 447/167, 448/167, 449/167, 450/167 भूमि पूर्व दिशा में खसरा नम्बर 127 (गै0मु0रास्ता) की भूमि एवं पश्चिम दिशा में खसरा नम्बर 124 (गै0मु0नाला) भूमि स्थित है। अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 14 द्वारा आये दिन सींव (सीमा) को लेकर विवाद करते रहते है एवं अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 14 एवं परिवारजन के द्वारा प्रार्थीगण की सयुक्त खातेदारी की कृषि भूमि की सींव उखाड़ने पर आमादा हो जाते है एवं प्रार्थीगण की आराजी पर ब्लात, अतिचार, अतिक्रमण करने पर आमादा है। जिससे प्रार्थीगण काफी परेशान है। अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 14 द्वारा आये दिन प्रार्थीगण की आराजी की मेड़, सींव, नींव को लेकर विवाद उत्पन्न करके प्रार्थीगण की आराजी में ब्लात, अतिचार, अतिक्रमण करने पर आमादा हो गये। तत्पश्चात् प्रार्थीगण द्वारा उपरोक्त वर्णित खसरा नम्बर 445/167 का सीमाज्ञान हेतु दिनांक 27.10.2021 को चालान कटवा कर सीमाज्ञान शुल्क जमा कराया गया है। प्रार्थीगण की आराजी में पत्थरगढ़ी करवाना आवश्यक है चुंकि प्रार्थीगण एवं मौके पर बार–बार आकर अप्रार्थीगण द्वारा अवैधानिक कृत्य को रोका जाना संभव नहीं है। इस कारण प्रार्थीगण द्वारा पत्थरगढ़ी करवाना आवश्यक हुआ है। जिससे सीमाओं का विवाद समाप्त हो सकता है एवं सीमाओ को लेकर किसी प्रकार का विवाद उत्पन्न न हो इस कारण से माननीय न्यायालय के समक्ष प्रार्थीगण द्वारा सद्भाविक रूप से प्रार्थना पत्र पेश किया जा रहा है। प्रार्थना पत्र प्रस्तुती का कारण दिनांक 27.06.2022 को उत्पन्न हुआ की प्रार्थीगण की आराजी का सीमाज्ञान पटवारी हल्का द्वारा किया गया परन्तु प्रार्थीगण की आराजी बाबत् सही नहीं करने से एवं प्रार्थीगण की नींव, सींव, मेड़ को लेकर विवाद करने से एवं प्रार्थीगण की आराजी में मेड़, सींव, नींव को लेकर विवाद उत्पन्न हुआ एवं नींव, सींव से सम्बन्धित विवाद उत्पन्न होने से प्रार्थीगण द्वारा जमाबन्दी की प्रमाणित प्रति प्राप्त करके अधिवक्ता से सम्पर्क कर उपरोक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जा रहा है। तब से प्रार्थना पत्र कारण निरन्तर जारी है। इसलिए प्रार्थीगण द्वारा माननीय न्यायालय के

Signature Not Verified
Digitally signed by Archana Choudhary
Date: 2024.06.24 19:55:50 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़ (अजमेर)

समक्ष प्रार्थना पत्र पेश करना आवश्यक हुआ है तब से कारण निरन्तर जारी है। अप्रार्थी संख्या 15 भू–धारी होने से आवश्यक पक्षकार है माननीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश की पालना करने से पक्षकार संयोजित किया गया है एवं अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 14 प्रार्थीगण की आराजी के पड़ौसी खातेदार होने से इस प्रार्थना पत्र में पक्षकार संयोजित किया गया है। हगामी पत्नि रायचन्द व तुलसी पत्नि शोनाथ सिंह फौत होने से पक्षकार कायम नहीं किया गया है। माननीय न्यायालय द्वारा प्रार्थीगण के पक्ष में पारित निर्णय के पश्चात् कमिश्नर नियुक्ति की विधिक शुल्क जमा करवाने हेतु प्रार्थीगण तैयार व तत्पर है। अतः प्रार्थीगण द्वारा अपनी सहखातेदारी भूमि खसरा नम्बर 445/167 रकबा 2.0225 हैक्टेयर भूमि की नजरी नक्शा/राजस्व ट्रेस/जमाबन्दी के अनुसार चतुर्थ सीमा पर पत्थरगढ़ी करने के प्रार्थीगण के पक्ष में आदेश प्रदान कराने का निवेदन करावे।

3. अप्रार्थी को प्रार्थना पत्र के नोटिस वास्ते जाहिर करने वजह (**Civil Procedure Code Appendix H, Form No. 4**) के तहत् नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थी सं0 1 से 5, 7 व 13 के बावजूद सूंचना के उपस्थित नहीं होने पर उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई तथा अप्रार्थी सं0 6, 8 से 12 व 14 की ओर से वकील महावीर मालाकार द्वारा वकालतनामा पेश करते हुए जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया। अप्रार्थी पेरोकार सरकार द्वारा जवाब पेश नहीं करने पर उनका जवाब का अवसर बन्द किया गया।

3.1 अप्रार्थी सं0 6, 8 से 12 व 14 की ओर से वकील महावीर मालाकार द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 14 ने कभी भी सींव, सीमा का विवाद नही किया और न ही सींव उखाड़ने का प्रयास किया है। अप्रार्थीगण ने कभी भी सींव बाड मेड को हटाने का प्रयास नही किया और न कोई बलात अतिचार नही किया है। प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण अपने–अपने राजस्व ट्रेस के अनुसार अपनी खातेदारी हिस्से में काबिज है। प्रार्थीगण ने आवश्यक पक्षकारो को समायोजित नही किया गया है तथा हंगामी, तुलसी जो कि फौत हो चुकी है उनके पूर्ण उत्तराधिकारियो को पक्षकार नही बनाने से प्रार्थना पत्र खारिज योग्य है। प्रार्थी परमेश्वर वगैरह व अप्रार्थीगण की जमीन के मध्य मौके पर लगभग 200 सालो से एक रास्ता है और उससे आगे चरागाह [illegible] भूमि है [illegible] काश्तकारो की भूमि है। प्रार्थीगण की जमीन के पास श्मशान भूमि भी है और [illegible] भूमि मालिको को व ग्राम पंचायत को पक्षकार नही बनाने से प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज योग्य है। प्रार्थीगण की नियत श्मशान भूमि व चरागाह भूमि व [illegible] नाला भूमि को खाने की नियत से कब्जा करने की नियत से यह प्रार्थना पत्र पेश किया है जो कि खारिज

Signature Not Verified
Digitally signed by Archana Choudhary
Date: 2024.06.24 19:51:50 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ (अजमेर)

योग्य है। अतः जवाबकर्ता द्वारा प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र मय हर्जे खर्चे सहित खारिज करने का निवेदन किया।

4. हमारे द्वारा उक्त प्रकरण में वकील पक्षकारान् की बहस सुनी गई।

4.1 वकील प्रार्थीगण द्वारा अपनी बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में अंकित कथनों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 14 द्वारा आये दिन सींव (सीमा) को लेकर विवाद करते रहते है एवं अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 14 एवं परिवारजन के द्वारा प्रार्थीगण की सयुक्त खातेदारी की कृषि भूमि की सींव उखाड़ने पर आमादा हो जाते है एवं प्रार्थीगण की आराजी पर बलात, अतिचार, अतिक्रमण करने पर आमादा है। जिससे प्रार्थीगण काफी परेशान है। प्रार्थीगण की आराजी में पत्थरगढ़ी करवाना आवश्यक है चुंकि प्रार्थीगण द्वारा मौके पर बार–बार आकर अप्रार्थीगण द्वारा अवैधानिक कृत्य को रोका जाना संभव नही है। इस कारण प्रार्थीगण द्वारा पत्थरगढ़ी करवाना आवश्यक हुआ है। जिससे सीमाओं का विवाद समाप्त हो सकता है। माननीय न्यायालय द्वारा प्रार्थीगण के पक्ष में पारित निर्णय के पश्चात् कमिश्नर नियुक्ति की विधिक शुल्क जमा करवाने हेतु प्रार्थीगण तैयार व तत्पर है। अतः प्रार्थीगण द्वारा अपनी सहखातेदारी भूमि खसरा नम्बर 445/167 रकबा 2.0225 हैक्टेयर भूमि की नजरी नक्शा/राजस्व ट्रेस/जमाबन्दी के अनुसार चतुर्थ सीमा पर पत्थरगढ़ी करने के प्रार्थीगण के पक्ष में आदेश प्रदान कराने का निवेदन कराये।

4.2 वकील अप्रार्थीगण द्वारा अपनी बहस के दौरान जवाब प्रार्थना पत्र में वर्णित कथनों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अप्रार्थीगण ने कभी भी सींव बाड मेड को हटाने का प्रयास नही किया और न कोई बलात अतिचार नही किया है। प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण अपने–अपने राजस्व ट्रेस के अनुसार अपनी खातेदारी हिस्से में काबिज है। प्रार्थी परमेश्वर वगैरह व अप्रार्थीगण की जमीन के मध्य मौके पर लगभग 200 सालो से एक रास्ता है और उससे आगे चरागाह गोचर भूमि है व अन्य काश्तकारो की भूमि है। प्रार्थीगण की जमीन के पास श्मशान भूमि भी है और श्मशान भूमि मालिको को व ग्राम पंचायत को पक्षकार नही बनाने से प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज योग्य है। अतः अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र मय हर्जे खर्चे सहित खारिज करने का निवेदन किया।

5. हमारे द्वारा प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों के संबंध में गहनता से अवलोकन किया गया एवं वकील पक्षकारान् की बहस पर मनन किया गया। ग्राम बीती स्थित आराजी ख0नं0 445/167 रकबा 2.0225 हैक्टेयर भूमि प्रार्थीगण की सहखातेदारी की भूमि है। सलंग्न राजस्व मानचित्र नक्शा में ख0नं0 445/167 भूमि का स्पष्ट अंकन है। अतः

Signature Not Verified
Digitally signed by Archana Choudhary
Date: 2024.06.24 19:51:50 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ (अजमेर)

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र उपरोक्त विवेचन एवं उपलब्ध रिकॉर्ड अनुसार स्वीकार किया जाकर तहसीलदार किशनगढ़ को 2000/– रूपये फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया जाकर ग्राम बीती स्थित ख0नं0 445/167 भूमि का राजस्व मानचित्र/जमाबन्दी में वर्णित क्षेत्रफल अनुसार सम्बन्धित पक्षकारान् की उपस्थिति में पत्थरगढ़ी करने के आदेश दिये जाते है। प्रार्थीगण द्वारा कमिश्नर शुल्क जमा कराने पर पालना हेतु तहरीर जारी होवे। प्रार्थना पत्र फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। निर्णय मेरे द्वारा आज दिनांक 20/06/2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अर्चना चौधरी)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़ (अजमेर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Archana Choudhary
Date: 2024.06.24 19:51:50 IST
Reason: SelfAttested